सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2022-2023

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

23 फरवरी 2022

फाल्गुन कृष्ण ७, विक्रम संवत् २०७८

बजट 2022 - 23

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. बजट, आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।

3. हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद्, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्ययोजना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया है।

4. मैंने, वर्ष 2012–13 में राज्य का **पहला जेण्डर बजट** प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021–22 में **पहला पेपरलैस बजट** भी मेरे द्वारा ही पेश किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला **'कृषि बजट'** भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रगतिशील कदम से प्रदेश में ना केवल कृषि विकास के नये आयाम स्थापित होंगे, वरन् साथ ही हमारा किसान भी और अधिक समृद्ध हो सकेगा।

5. सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ ही प्रदेश ने भी गत दो वर्षों से कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति का सामना किया है। हमारे पिछले बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश पर आ गया। जहाँ एक ओर हमने कोरोना का ऐसा प्रबन्धन किया जिसकी देश–विदेश में सराहना हुई, वहीं

दूसरी ओर हमने विकास की गति को बनाये रखते हुए अपने वायदों को भी पूरा किया है। आज जब मैं, माननीय सदस्यों के समक्ष आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तब मुझे इस बात का संतोष है कि सीमित वित्तीय संसाधन होने, केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने एवं हमारी सरकार के इस कार्यकाल के तीन वर्षों में से दो वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी हमने जनघोषणा पत्र में किये गये 70 प्रतिशत से अधिक वायदों तथा 85 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण ही संभव हुआ है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं चहुंमुखी विकास की राह प्रशस्त करेंगे–

ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है,
अभी तो सफर का इरादा किया है।
ना हारूंगा हौसला उम्र भर,
ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।।

6. कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी–रोटी पर संकट से उबारने के लिए UPA Govt. द्वारा प्रारम्भ की गयी 'महात्मा गांधी नरेगा योजना' ने संबल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में **street vendors** (ठेले, रेहड़ी, थड़ी व पटरी पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले), ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण

प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इस क्रम में–

I. अब मैं, शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए **'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना'** लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।

II. कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष मैं, महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के Bridge Courses चलाये जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

IV. कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं, अल्प आय वर्ग के साथ–साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली **निःशुल्क** उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ–साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट

कृषि बजट :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब मैं, आपकी अनुमति से **'समृद्ध किसान–खुशहाल राजस्थान'** की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बजट को प्रस्तुत करते समय मुझे हरित क्रान्ति के अगुआ **डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन** का यह कथन याद आ रहा है–

"If the agriculture goes wrong, nothing else will have chance to go right in the country."

अर्थात् **''अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति संभव नहीं है।''**

132. किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। आज भी सम्पूर्ण देश की भांति प्रदेश की लगभग दो–तिहाई जनता की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियां यथा–उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ओर नजर डाले तो GSDP का लगभग 30 प्रतिशत कृषि तथा संबंधित गतिविधियों से आता है तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृषि पर लगभग 85 लाख परिवारों का जीवनयापन निर्भर है।

133. हमारी सरकार हमेशा से ही किसान हितैषी रही है और हमारा मुख्य ध्येय रहा है कि कृषकों की आय एवं आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो सके। हमारा लक्ष्य किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मैंने

2 हजार करोड़ रुपये की **'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना'** की घोषणा की थी। अब मैं, इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना को वृहद् रूप देते हुए **मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना** की राशि को **2 हजार करोड़ रुपये** से बढ़ाकर **5 हजार करोड़ रुपये** करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए Mission Mode पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ये 11 Mission हैं–

1. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
   (Rajasthan Micro Irrigation Mission)
2. राजस्थान जैविक खेती मिशन
   (Rajasthan Organic Farming Mission)
3. राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
   (Rajasthan Seed Production and Distribution Mission)
4. राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
   (Rajasthan Millets Promotion Mission)
5. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
   (Rajasthan Protected Cultivation Mission)
6. राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
   (Rajasthan Horticulture Development Mission)
7. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
   (Rajasthan Crop Protection Mission)
8. राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
   (Rajasthan Land Fertility Mission)
9. राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
   (Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission)

10. **राजस्थान कृषि तकनीक मिशन**

(Rajasthan Agri-Tech Mission)

11. **राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन**

(Rajasthan Food Processing Mission)

इस प्रकार इन Thematic Areas के आधार पर कृषि के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

Mission-1 : राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

(Rajasthan Micro Irrigation Mission)

आगामी वर्ष लगभग **2 हजार 700 करोड़ रुपये** की राशि से **'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन'** शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे **5 लाख से अधिक किसान** लाभान्वित होंगे। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में–

I. Drip/Sprinkler से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को **एक हजार 705 करोड़ रुपये** एवं 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए 45 हजार कृषकों को 375 करोड़ रुपये, डिग्गियों के निर्माण के लिए 15 हजार किसानों को 450 करोड़ रुपये तथा 300 सामुदायिक जल स्रोतों के लिए 60 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

III. Micro Irrigation से संबंधित research एवं training की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5–5 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Micro Irrigation** स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

Mission-2: राजस्थान जैविक खेती मिशन

(Rajasthan Organic Farming Mission) :

आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रूझान को ध्यान में रखते हुए, मेरे द्वारा वर्ष 2019–20 में **जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग** की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में अब, **'मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन'** शुरू किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग **4 लाख किसान** लाभान्वित होंगे। मिशन के अंतर्गत **600 करोड़ रुपये** का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके तहत –

I. कृषकों को जैविक (Organic) बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जायेगी।

II. जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को तभी मिल सकता है, जब उनके उत्पाद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित हों। इस दृष्टि से **Organic Commodity Board** का गठन किया जाकर संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण Labs स्थापित की जायेंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

Mission-3:राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

(Rajasthan Seed Production and Distribution Mission) :

बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से **'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत–

I. **बीज स्वावलम्बन योजना** के आकार को दोगुना कर आगामी 2 वर्षों में 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु

30 करोड़ रुपये का व्यय कर 9 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन करवाया जायेगा।

II. 12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 78 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ये बीज मिनीकिट हैं–

- 8 लाख कृषकों को संकर मक्का के,
- 2 लाख कृषकों को मूंग, मोठ, उड़द के तथा
- 2 लाख कृषकों को सरसों बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

III. 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा यथा–ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसीम एवं जई के बीज के मिनीकिट उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 9 करोड़ रुपये का व्यय होंगे।

Mission-4: राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

(Rajasthan Millets Promotion Mission) :

प्रदेश में मिलेट्स यथा–बाजरा, ज्वार व छोटे अनाजों (Coarse Grains) आदि की खेती को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को **Millet Hub** के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से **'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन'** शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा–

I. 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 25 करोड़ रुपये व्यय कर उन्नत किस्मों के बीज निःशुल्क एवं 2 लाख किसानों को Micro Nutrients व Bio Pesticide Kit अनुदानित दर पर 20 करोड़ रुपये का व्यय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. Millets की प्रथम 100 Processing Units की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

III. बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्द्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Millets** की स्थापना की जायेगी।

Mission-5: राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

(Rajasthan Protected Cultivation Mission) :

संरक्षित खेती (Protected Cultivation) हेतु आधुनिक तौर–तरीके एवं तकनीक को अपनाये जाने तथा गैर–मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए **'राजस्थान संरक्षित खेती मिशन'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। पहले चरण में, आगामी वर्ष 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

Mission-6: राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

(Rajasthan Horticulture Development Mission) :

फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए **'राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 15 हजार किसानों को लाभान्वित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 2 वर्षों में–

I. 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10 हजार किसानों को अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, अनुदान की

वर्तमान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

II. मसाला फसलों का 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार करवाया जायेगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जायेगा। इससे 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

Mission-7: राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(Rajasthan Crop Protection Mission) :

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए '**राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन**' शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत –

I. आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाकर 35 हजार से अधिक किसान लाभान्वित किया जायेगा।

II. तारबंदी योजना में 3 किसानों को एक Unit मानने की शर्त को समाप्त कर Individual किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को **1.5** हेक्टेयर किये जाने की घोषणा करता हूँ।

Mission-8: राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन

(Rajasthan Land Fertility Mission) :

लवणीय (Saline) व क्षारीय (Alkaline) भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु **'राजस्थान भूमि उर्वरकता**

मिशन' शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इससे आगामी 2 वर्षों में लगभग 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसके तहत–

I. जिप्सम के प्रयोग से 22 हजार हेक्टेयर क्षारीय भूमि का 11 करोड़ रुपये की लागत से सुधार किया जायेगा। इससे 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

II. हरी खाद (Green Manure) उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

Mission-9: राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन

(Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission) :

कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए '**राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन**' शुरू किया जाना प्रस्तावित है, इसके अंतर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए Landless Labourers हेतु–

I. वर्ष 2022–23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

II. आगामी 2 वर्षों में एक लाख श्रमिकों की Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Mission-10 : राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

(Rajasthan Agri-Tech Mission) :

कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ–साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण

(Farm Mechanization) को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए **'राजस्थान कृषि तकनीक मिशन'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 2 वर्षों में–

I. 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. कृषकों को महंगे यंत्र–उपकरण यथा–ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से GSS/FPO के माध्यम से एक हजार 500 कस्टम हायरिंग सेन्टर और स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु आगामी वर्ष में कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को **एक हजार ड्रोन** उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

IV. **किसान कॉल सेंटर** एवं **किसान साथी पोर्टल** को वृहद् रूप देते हुए 50 करोड़ रुपये की लागत से IT/Mobile App आधारित **Integrated Farmer Support System** लागू किया जायेगा।

Mission-11: राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(Rajasthan Food Processing Mission) :

राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन व निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए **'राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन'** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत–

I. **लहसुन** के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां; **अनार** के लिए बाड़मेर एवं जालोर; **संतरे** के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा;

टमाटर व **आंवले** के लिए जयपुर एवं **सरसों** के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक) का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर संभाग में **जीरा** व **इसबगोल** की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।

II. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए 5 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से **Centre of Excellence for Apiculture** की स्थापना की जायेगी एवं शहद के गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल Lab भी संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

किसानों के लिए बिजली :

134. राज्य में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में–

I. एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. साथ ही, SC व ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। इससे SC/ST के लगभग 50

https://finance.rajasthan.gov.in

हजार कृषक लाभान्वित होंगे। इस हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

135. हमारी सरकार ने 3 वर्षों में 2 लाख 48 हजार 269 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये हैं, जबकि पिछली सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में मात्र 2 लाख 68 हजार 552 विद्युत कनेक्शन ही दिये गये थे। किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं, विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसम्बर, 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की **pendency, लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन** खत्म करने की दृष्टि से कल 22 फरवरी, 2022 (22–2–22) तक के समस्त **बकाया विद्युत कनेक्शन** दो वर्षों में जारी करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 6 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

136. किसान साथियों को रात में सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए मैंने इस वर्ष से 16 जिलों में 2 बारी में दिन में ही बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी थी। मुझे इस बात का अहसास है कि कृषकों को रात में सिंचाई करने, विशेष कर सर्दियों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं, शेष 17 जिलों में भी **आगामी एक वर्ष में ही दिन** में **सिंचाई के लिए बिजली** उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ।

कृषि ऋण :

137. हमारे द्वारा वर्ष 2012–13 में शुरू की गयी **ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना** से किसानों को आशातीत लाभ हुआ है। मैं, आगामी वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नये कृषकों को सम्मिलित किये जाने की

घोषणा करता हूँ। इस हेतु 650 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) पर व्यय किये जायेंगे।

138. ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ–साथ Non-Farm Activities यथा–हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई–बुनाई, रंगाई–छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर हैं। आगामी वर्ष, अकृषि क्षेत्र में भी **एक लाख परिवारों** को 2 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जायेगा।

सिंचाई विकास :

139. राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु मैं, **Rajasthan Irrigation Restructuring Programme** प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, मुख्य कार्य इस प्रकार हैं–

I. प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 550 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर लगभग 12 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। ये परियोजनायें हैं–

क्र.सं.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनायें	लागत
1	अनास नदी पर डांगल ग्राम में एनिकट (बागीदौरा)–बांसवाड़ा	12 करोड़ 17 लाख रुपये
2	घाटकोन ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	9 करोड़ 65 लाख रुपये

3	गामदरा ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	4 करोड़ 57 लाख रुपये
4	बेड़ा का नाका ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)–उदयपुर	3 करोड़ 27 लाख रुपये
5	पीपल खुटिया ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	24 करोड़ 40 लाख रुपये
6	नालपाड़ा ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	4 करोड़ 76 लाख रुपये
7	अनास नदी पर ग्राम गोयका पारगिसत में एनिकट पर सिंचाई परियोजना (कुशलगढ़)–बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
8	बरवाला MST पर सिंचाई परियोजना–बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
9	माही नदी पर ग्राम मटिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	50 करोड़ 64 लाख रुपये
10	माही नदी पर ग्राम सरोदिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)–बांसवाड़ा	44 करोड़ 32 लाख रुपये
11	सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	26 करोड़ 64 लाख रुपये
12	सोम नदी पर धोलपुरा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	35 करोड़ 16 लाख रुपये
13	सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)–डूंगरपुर	31 करोड़ 45 लाख रुपये
14	जाखम नदी पर पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना (धरियावाद)–प्रतापगढ़	15 करोड़ 33 लाख रुपये
15	जाखम नदी पर हकड़ी घाटी खोड़ाबेला ग्राम सिंचाई परियोजना (धरियावाद)–प्रतापगढ़	14 करोड़ 79 लाख रुपये
16	करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना–प्रतापगढ़	15 करोड़ 50 लाख रुपये
17	भवलिया MIS परियोजना (निम्बाहेड़ा) –चित्तौड़गढ़	7 करोड़ 50 लाख रुपये

18	बड़ी मानसरोवर MIS सिंचाई परियोजना (निम्बाहेड़ा) –चित्तौड़गढ़	19 करोड़ 50 लाख रुपये
19	बजरिया, भूराव, हसुला और देवेन्द्रा ग्राम सिंचाई परियोजना (सलूम्बर)–उदयपुर	17 करोड़ रुपये
20	नयागांव फारस ग्राम सिंचाई परियोजना–डूंगरपुर	7 करोड़ 74 लाख रुपये
21	बालादित गमेती फाला कलस्टर परियोजना–डूंगरपुर	13 करोड़ 25 लाख रुपये
22	हंगारीवाला, हांजूडूंगडा एवं पीपलदा कलस्टर परियोजना–डूंगरपुर	18 करोड़ 35 लाख रुपये
23	माण्डवीया, मोदर–1, मोदर–2 और मोदर–3 कलस्टर परियोजना–डूंगरपुर	16 करोड़ 9 लाख रुपये
24	सियावा ग्राम परियोजना (पिंडवाडा आबू)–सिरोही	3 करोड़ 50 लाख रुपये
25	चंदलई बांध परियोजना (चाकसू)–जयपुर	14 करोड़ 20 लाख रुपये
26	टोडपुरा एनिकट सिंचाई परियोजना (बाड़ी)–धौलपुर	8 करोड़ रुपये
27	मेज नदी पर गंगाराम माली ग्राम में एनिकट (हिण्डोली)–बूंदी	10 करोड़ रुपये
28	मेज नदी पर सुहरी ग्राम में एनिकट (हिण्डोली)–बूंदी	10 करोड़ रुपये
29	ब्लाण्डी नदी पर बरवास ग्राम सिंचाई परियोजना (हिण्डोली)–बूंदी	12 करोड़ रुपये
30	बास्याहेडी एम.एस.टी. (कांकरिया) सिंचाई परियोजना (सांगोद)–कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
31	मेज नदी पर झालीजी का बाराना ग्राम परियोजना (केशवरायपाटन)–बूंदी	12 करोड़ रुपये
32	मेज नदी पर खटकड ग्राम परियोजना–बूंदी	20 करोड़ रुपये
33	अमझार नदी पर KHAM-1 (बड़ौदिया आंतरी गांव) परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	1 करोड़ 10 लाख रुपये

34	अमझार नदी पर KHAM-3 (खरली बावड़ी गांव) परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	1 करोड़ 85 लाख रुपये
35	कालीसिंध नदी पर रामडी ग्राम परियोजना (झालरापाटन)–झालावाड़	6 करोड़ रुपये
36	आहू नदी पर आहू–I परियोजना (रामगंजमंडी)–कोटा	16 करोड़ रुपये
37	सिंगोला लिफ्ट परियोजना (अंता)–बारां	15 करोड़ रुपये

II. जल अपव्यय को रोकने व दक्षता सुधार हेतु विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 100 बांधों तथा 100 नहरी तंत्रों का चिन्हिकरण कर **800 करोड़ रुपये** व्यय कर जीर्णोद्धार किया जाकर सिंचित दक्षता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

III. विभिन्न जिलों में भूजल पुनर्भरण हेतु लगभग 100 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर/एनिकट के निर्माण व जीर्णोद्वार के कार्य 600 करोड़ रुपये लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

IV. बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/वितरिकाओं के 545 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूँ।

V. घाटोल–बांसवाड़ा में खमेरा नहर प्रणाली में लघु सिंचाई योजना प्रथम से चतुर्थ की फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई पद्धति आधारित वितरण प्रणाली का 100 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

VI. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

VII. पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नवीन कृषि सिंचित क्षेत्र सृजित किये जाने हेतु माही परियोजना से **'अपर हाई लेवल नहर'** के निर्माण की घोषणा की गयी थी, किन्तु कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया गया। मैं, आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए **2 हजार 500 करोड़ रुपये** लागत से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बागीदौरा के कुल 338 गांवों के 41 हजार 903 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ।

VIII. माही बेसिन के अधिशेष जल से पीपलखूंट तहसील–प्रतापगढ़ के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए **'पीपलखूंट हाई लेवल केनाल'** का 2 चरणों में निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर **2 हजार करोड़ रुपये** की लागत आयेगी। इससे 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

IX. **गंगनहर प्रणाली** के 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में **एक हजार 153 करोड़ रुपये** की लागत से नहर एवं मोघों में पानी वितरण एवं नियंत्रण हेतु ऑटोमेशन का कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ।

X. **भीखा भाई सागवाड़ा नहर–बांसवाड़ा** की लघु सिंचाई योजना सप्तम, अष्टम एवं नवम् लघु वितरिकाओं के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, दसवीं एवं ग्यारहवीं वितरण प्रणाली की DPR बनायी जायेगी।

https://finance.rajasthan.gov.in

XI. **हरिदेव जोशी नहर तंत्र–बांसवाड़ा** का लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से रखरखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा।

140. **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** प्रदेश के 13 जिलों–झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लिए पेयजल के साथ–साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं, विपक्ष के साथियों को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई, 2018 एवं 6 अक्टूबर, 2018 को आयोजित रैलियों में **ERCP** को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, किन्तु उसे अभी तक निभाया नहीं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री को पत्र से भी आग्रह किया है एवं भविष्य में भी हम निरंतर केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहेंगे। साथ ही, मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ERCP का 13 जिलों के लिए महत्व को देखते हुए, हम अपने संसाधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के अंतर्गत आगामी वर्ष नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के **9 हजार 600 करोड़ रुपये** के काम हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही मैं, इस परियोजना का कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से कराने की दृष्टि से **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ERCP Corporation)** के गठन की घोषणा करता हूँ।

141. **इंदिरा गांधी नहर परियोजना** में लगभग एक हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी अन्य कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

I. जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पर पक्के खाले नष्ट हो चुके हैं, वहां लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

II. गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट) के 10 हजार हेक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

III. लिफ्ट परियोजनाओं–साहवा, गजनेर, कोलायत में शेष रही लगभग 400 डिग्गियों का 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

IV. कंवरसेन लिफ्ट का 200 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा।

V. चारणवाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से 102 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। इससे बीकानेर व जैसलमेर जिले का 97 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

VI. IGNP की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में पुरानी मोटर/पम्पों की विद्युत दक्षता बढ़ाने के साथ समुचित रखरखाव व संचालन हेतु 200 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जायेगा।

VII. सिद्धमुख नहर के 10 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

https://finance.rajasthan.gov.in

VIII. भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिए सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए Technical Assessment / सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जायेगी।

IX. **Indira Gandhi Canal Project** के अंतर्गत जल संरक्षण व जल के optimal use को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहाँ के कृषकों को प्रोत्साहन देकर Micro Irrigation से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु किसान के खेत के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर Drip/Sprinkler पर 50 प्रतिशत तक Subsidy दी जानी प्रस्तावित है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

142. चम्बल कमांड क्षेत्र—कोटा, बूंदी व बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्धार, विभिन्न नहरों, वितरिकाओं व ब्रांच केनालों में पक्की लाईनिंग के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 483 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

143. वर्ष 2021—22 में पहली बार राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग के कार्य कराये गए थे। साथ ही, सरहिंद फीडर के 80 किलोमीटर लम्बाई में भी रिलाइनिंग करवायी गयी थी। अब मैं, वर्ष 2022—23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 425 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

144. फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) की मरम्मत हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

145. मैं, वर्ष 2022–23 में मरु क्षेत्र के लिए **राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD)** में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लम्बाई में तथा वितरिकाओं/माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्वार के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूँ।

146. वर्षा जल के संग्रहण एवं उसके समुचित उपयोग से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए **राजीव गांधी जल संचय योजना–द्वितीय चरण** के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में 2 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 352 पंचायत समितियों के लगभग 4 हजार 500 गांवों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण (Water Harvesting & Conservation) संबंधी कार्य करवाये जायेंगे।

कृषि भण्डारण व विपणन :

देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरूष **सरदार वल्लभ भाई पटेल** ने कहा था कि –

" मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहें। "

राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए खेती की गुणवत्ता व कृषि उत्पादकता के साथ–साथ भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाना एवं विपणन प्रणाली बेहतर किया जाना अति आवश्यक है।

https://finance.rajasthan.gov.in

147. आगामी वर्ष में करावन (पचपहाड़)–झालावाड़, मांडल–भीलवाड़ा, खटौटी (नदबई)–भरतपुर सहित कोटा, सोनवा–टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, तथा उदयपुर जिलों में 220 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, चैनपुरा (निवाई)–टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाया जायेगा।

148. राज्य के कृषि उत्पादों यथा–ईसबगोल, जीरा, धनिया एवं फल–सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए pesticide residue testing and analysis हेतु 12 करोड़ रुपये की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-sanitary Labs की स्थापना की जायेगी। साथ ही, टोंक में Bio Pesticide व Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जायेगी।

149. कृषकों के फसल उत्पाद को भंडारित करने की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में Cold Storage, Warehouse एवं 100 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम व कार्यालयों का 87 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, 5 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

150. गौण मण्डी प्रांगण चांदन–जैसलमेर, लोहावट, आऊ, देचूं–जोधपुर, पूगल–बीकानेर, हिण्डोली–बूंदी, समराणिया, नाहरगढ़–बारां, रावतभाटा–चित्तौड़गढ़ तथा तूंगा–जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

https://finance.rajasthan.gov.in

151. बीकमपुर (कोलायत)–बीकानेर, चामूं (शेरगढ़)–जोधपुर, मण्डरायल (सपोटरा)–करौली में गौण मण्डी, गौण मण्डी सायला–जालोर में अनार मण्डी, भोपालगढ़–जोधपुर एवं रेवदर–सिरोही में कृषि मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बिलाड़ा–जोधपुर की कृषि मण्डी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मण्डी घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण :

152. ग्राम सहकारी समितियों (GSS) की किसानों को मिनी बैंक के साथ–साथ कृषि आदान (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि) सुविधा उपलब्ध कराने में भी महती भूमिका है। वर्तमान में राज्य में गठित 7 हजार 133 GSS के माध्यम से लगभग 67 लाख किसान इनके सदस्य के रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं, **आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4 हजार 171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।** इसके साथ ही, प्रदेश के कोने–कोने से छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकें, इस दृष्टि से ग्राम सहकारी समिति हेतु निर्धारित अंशदान को 5 लाख रुपये से कम कर 3 लाख तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या को 500 से कम कर 300 किया जाना प्रस्तावित है।

153. कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न कदम उठाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं–

I. मुण्डावर–अलवर, केकड़ी–अजमेर, बाड़मेर, पोकरण–जैसलमेर, नोहर, जोगीवाला (भादरा)–हनुमानगढ़, डीडवाना, नावां–नागौर, केशवाणा (सायला)–जालोर, मंडावा, चिड़ावा–झुंझुनूं, ओसियां–जोधपुर, पहाड़ी (कामां)–भरतपुर, खेड़लाबुजुर्ग (महवा)–दौसा,

https://finance.rajasthan.gov.in

करौली, टोडाभीम–करौली, प्रतापगढ़ तथा खैरवाड़ा–उदयपुर में **कृषि महाविद्यालय** (Agriculture College) खोले जायेंगे।

II. देवली (उनियारा)–टोंक में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा।

III. नाथद्वारा–राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जायेगा।

डेयरी एवं पशुपालन :

154. प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में–

I. 2 हजार 500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जायेगा।

II. 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes चालू किये जायेंगे।

III. 5 हजार नये डेयरी बूथ खोले जायेंगे, जिसमें से **एक हजार डेयरी बूथ** महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित किये जायेंगे।

IV. राजसमंद जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से Milk Processing Plant की स्थापना की जायेगी।

V. जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के Processing Plant का 10 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

155. प्रदेश में राज्य पशु 'ऊँट' के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु **'ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति'** लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

156. हमने ग्रामीणों/कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की दृष्टि से ब्लॉक स्तर पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। मेरे समक्ष Pre-Budget Consultation के समय किसानों द्वारा इनका coverage बढ़ाने की मांग रखी गयी। मैं, स्वयंसेवी संस्थाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण एवं पुनीत कार्य के लिए आगे आयें। आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम NGO उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1–1 करोड़ रुपये तक की राशि से गौशाला स्थापित की जायेंगी। इस प्रकार हमारी इच्छा है कि चरणबद्ध रूप से समस्त ग्राम पंचायतों पर पशु आश्रय स्थल स्थापित हो सकें।

157. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए–

I. मलसीसर (मण्डावा)–झुंझुनूं में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

II. राजकीय पशु चिकित्सालय, चाकसू–जयपुर तथा कुचामन सिटी–नागौर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. नागोला (भिनाय)–अजमेर, दुलचासर (डूंगरगढ़)–बीकानेर, भानपुर कलां (जमवारामगढ़)–जयपुर, खुडियाला (शेरगढ़),

https://finance.rajasthan.gov.in

पंडितजी की ढाणी (ओसियां)–जोधपुर, जावला (परबतसर), रोल (जायल), तौषिणा (डीडवाना), महाराजपुरा (नावां)–नागौर तथा बगड़ी नगर (सोजत), खैरवा (सुमेरपुर), जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)–पाली के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. झालाटाला (लक्ष्मणगढ़)–अलवर, नोवी (सुमेरपुर), जैतपुर (रोहट)–पाली, कैथरी (सैपऊ)–धौलपुर, नीमला–जयपुर, कायमसर (फतेहपुर)–सीकर तथा रासला (फतेहगढ़)–जैसलमेर पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. पगारा (पीसांगन)–अजमेर, जगपुरा (बदनौर)–भीलवाड़ा, बिशनपुरा–दौसा, सुजानगढ़–चूरू, आवलहेड़ा, गोपालपुरा (बेंगू)–चित्तौड़गढ़, कोलीवाड़ा (जमवारामगढ़)–जयपुर, चेण्डा, खिमाड़ा, बामनेरा (सुमेरपुर)–पाली, बाहला (पोकरण), कोलूतला –जैसलमेर, अल बख्स का बाग (लक्ष्मणगढ़)–अलवर, गारिंडा (फतेहपुर)–सीकर तथा देवीखेड़ा (देवली), चन्दवाड (दूनी)–टोंक में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जायेंगे।

VI. वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में **Block Veterinary Health Office (BVHO)** एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं (Primary Disease Diagnosis Labs) की स्थापना की जायेगी।

VII. साथ ही, प्रदेश की 3 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में 15 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य करवाये जायेंगे।

https://finance.rajasthan.gov.in

158. आगामी वर्ष से पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग **6 लाख** पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2022–23 में 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

159. पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाते हुए **Regulatory Authority** का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में Testing Lab स्थापित की जायेगी।

160. मेरे द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रेल, 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना** प्रारम्भ की गयी थी। संभवतया यह देश में प्रथम पहल थी। पिछली सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया, जिससे पशुपालकों में निराशा की भावना पैदा हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सरकार बनते ही मेरे द्वारा 1 फरवरी, 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है। अब मैं, आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय **अनुदान राशि को 2 रुपये प्रतिलीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर** किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी।

161. इस कृषि बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के नये आयाम स्थापित करने के साथ ही किसान भाइयों को भी संबल मिल सके।

https://finance.rajasthan.gov.in

162. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2022–23 के लिए आज प्रस्तुत यह बजट है–

राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए।

बेटियों और मांओं के सपनों की ऊँची उड़ान के लिए।

स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए।

सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए।

नौजवानों को सक्षम बना उनकी हरसतों को पूरा करने के लिए।

गरीब/मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए।

गांवों का हाल बदलने के लिए।

शहरों की रफ्तार बदलने के लिए।

विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए।

हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की के लिए।

163. इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट के अंतर्गत प्रदेश के हर वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों की आशा के अनुरूप भविष्य की योजनायें तैयार करने का प्रयास किया गया है। मैं, सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इन योजनाओं को मूर्तरूप देने के साथ ही हर प्रदेशवासी की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।